1. **वेतन**

राज्य सभा के सदस्य के रूप में संपूर्ण पदावधि के दौरान प्रतिमास संदेय 1,00,000 रुपए।

2. **दैनिक भत्ता**

सत्र और समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिदिन 2000/– रुपए सत्र की शुरुआत से तत्काल तीन दिन पूर्व और समाप्ति के तत्काल तीन दिन बाद; और समिति के कार्य के शुरू होने से तत्काल दो दिन पूर्व और समाप्ति के बाद तत्काल दो दिनों की अवधि के लिए दैनिक भत्ता भी अनुमेय है बशर्ते कि सदस्य कार्य के स्थान पर उपस्थित हो। दैनिक भत्ता केवल तभी अनुमेय है जब सदस्य कार्य स्थल पर इस प्रयोजनार्थ रखी गई पंजिका में हस्ताक्षर करता है।

3. **निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता**

राज्य सभा के सदस्य के रूप में सदस्य अपनी संपूर्ण पदावधि के दौरान संदेय 70,000/– रुपए प्रतिमास।

4. **कार्यालय व्यय भत्ता**

प्रतिमास 60,000/– रुपए जिसमें से:

(i) 20,000/– रुपए सदस्य को लेखन सामग्री और डाक पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए संदेय होंगे; और

(ii) 40,000/– रुपए सदस्य द्वारा लिपिकीय सहायता के लिए काम पर रखे गए व्यक्ति(यों) को संदेय होंगे जो उस तारीख से संदेय होंगे जिस तारीख को ऐसे व्यक्ति(यों) को काम पर रखे जाने की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर संसद सदस्य, वेतन और भत्ते शाखा को दी जाएगी।

5. **यात्रा भत्ता**

(i) राज्य सभा के सत्र अथवा किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने अथवा संसद सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ अपने प्रायिक निवास स्थान (यूपीआर) के कार्य स्थल तक और वापसी के लिए यात्रा भत्ता निम्नानुसार स्वीकार्य है:—

(क) विमान द्वारा — विमान का एक टिकट का किराया।

(ख) रेल द्वारा — संसद सदस्य को जारी रेलवे पास के तहत नि:शुल्क रेल यात्रा।

(ग) सड़क मार्ग द्वारा — सोलह रुपए प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ता।

(ii) दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत रहने वाले संसद सदस्य और उनकी पत्नियों/पतियों के लिए सड़क मील भत्ता

सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए अनुमेय है, चाहे यह मार्ग रेल मार्ग से जुड़ा हुआ क्यों न हो।

(iii) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्यों में रहने वाले संसद सदस्यों और उनकी पत्नियों/पतियों के लिए सड़क मील भत्ता उनके प्रायिक निवास स्थान से उनके निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए भी अनुमेय है, चाहे यह मार्ग रेल मार्ग से जुड़ा हुआ क्यों न हो।

(iv) **हवाई यात्रा**—संसद सदस्य वर्ष में 34 एकल हवाई यात्राएं करने का हकदार है जिसे वह अकेले अथवा पति/पत्नी अथवा कितनी भी संख्या में साथियों अथवा संबंधियों के साथ सम्पन्न कर सकेगा/सकेगी। पति/पत्नी, साथियों अथवा संबंधियों द्वारा की गई ऐसी कोई यात्रा 34 हवाई यात्राओं की सीमा की गणना में शामिल की जाएगी। इन 34 नि:शुल्क हवाई यात्राओं में से किसी सदस्य के पति/पत्नी अथवा साथी **उस सदस्य से मिलने के लिए** अकेले अधिकतम 8 हवाई यात्राएं करने के हकदार होंगे। किसी वर्ष में शेष बची हवाई यात्राएं आगामी वर्ष में जुड़ जाएंगी। किसी वर्ष विशेष में, 34 से अधिक की गई हवाई यात्राओं, जिसकी अधिकतम सीमा 8 होगी, का समायोजन आगामी वर्ष के लिए उपलब्ध 34 हवाई यात्राओं में से किया जाएगा। एक बार में सिर्फ 8 एक्सचेंज ऑर्डर जारी किए जाएंगे परंतु विधवाओं, विधुरों अथवा अविवाहितों को छोड़कर किसी अन्य साथी के पक्ष में कोई एक्सचेंज ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा।

6. **रेल यात्रा सुविधाएं—सदस्य के लिए**

एक नि:शुल्क अहस्तांतरणीय रेलवे पास दिया जाएगा जिससे सदस्य अकेले अथवा पति/पत्नी के साथ भारत में किसी भी रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी वातानुकूलित अथवा एक्ज़ीक्यूटिव श्रेणी में और साथ में द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में एक साथी के साथ यात्रा करने का हकदार होगा। जिस सदस्य के पति/पत्नी नहीं हैं वह पति/पत्नी के स्थान पर किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ उसी श्रेणी में और साथ में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में एक साथी के साथ यात्रा करने का हकदार होगा।

पति/पत्नी के लिए

(i) सदस्य का पति/उसकी पत्नी उसके प्रयोग के लिए सदस्य को रेलवे द्वारा पृथक रूप से जारी नि:शुल्क अहस्तांतरणीय रेल पास पर सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली/नयी दिल्ली और वहां से वापस प्रायिक निवास स्थान तक किसी भी ट्रेन में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्ज़ीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने का/की हकदार है।

(ii) जब संसद का सत्र चल रहा हो तब सदस्य का पति/उसकी पत्नी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली और वहां से वापस

अपने प्रायिक निवास स्थान तक विमान और रेल/सड़क मार्ग से, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी विमान/सड़क यात्राओं की कुल संख्या वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी, यात्रा करने का/की हकदार होगा/होगी।

7. **टेलीफोन सुविधाएं**

(i) सदस्य निम्नलिखित लैंडलाइन/मोबाइल कनेक्शन को साथ मिलाकर प्रतिवर्ष कुल 1,50,000 नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का हकदार है:

(क) दिल्ली में एक लैंडलाइन और एक मोबाइल कनेक्शन रोमिंग सुविधा के सहित।

(ख) दिल्ली में अथवा अपने प्रायिक निवास स्थान अथवा संसद सदस्य द्वारा उस राज्य में जहां वह रहता/रहती है, में चयनित किसी स्थान पर एक लैंडलाइन और एक मोबाइल कनेक्शन।

(ग) दिल्ली में अथवा अपने प्रायिक निवास स्थान अथवा संसद सदस्य द्वारा चयनित किसी स्थान पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक अतिरिक्त लैंडलाइन कनेक्शन।

(घ) प्रतिवर्ष 10000 लोकल कॉलों को अभ्यर्पित करने पर किसी मौजूदा लैंडलाइन कनेक्शन पर ब्रॉडबैंड सुविधा।

(ii) सदस्य मौजूदा लैंडलाइन में से किसी एक पर 1,500/– रुपये प्रति माह की अधिकतम सीमा तक ब्रॉडबैंड सुविधा के भी हकदार हैं।

(iii) सदस्य दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से अपने निवास पर अधिकतम 2200/– रुपये प्रतिमाह तक नि:शुल्क वाई-फाई सेवाओं के साथ फाइबर टू दि होम (एफटीटीएच) पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का लाभ लेने के भी हकदार हैं।

(iv) कोई भी सदस्य इस शर्त के अधीन ऊपर उल्लिखित 1,50,000 नि:शुल्क लोकल कॉलों का लाभ उठाने के लिए कितनी भी संख्या में टेलीफोन का प्रयोग कर सकता है कि बशर्ते वे सभी टेलीफोन उस सदस्य के नाम पर हों और अतिरिक्त टेलीफोनों को लगाने और उनके किराये का प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किए जाते हों।

(v) कोई सदस्य इस शर्त के अधीन जहां एमटीएनएल या बीएसएनएल की सेवाएं उपलब्ध न हों वहां किसी निजी आपरेटर से ऐसे सभी कनेक्शन ले सकता है कि उसके पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किए जाते हों।

8. **वाहन अग्रिम**

सदस्य वाहन खरीदने के लिए 4,00,000 रुपए अथवा वाहन की

कीमत, जो भी कम हो, अग्रिम राशि के रूप में ले सकता है। समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित साधारण ब्याज दर पर ब्याज सहित उक्त अग्रिम की वसूली सदस्य के वेतन बिल से साठ से अनधिक मासिक किस्तों, जो उसकी सदस्यता की अवधि से अधिक नहीं होगी, में की जाएगी।

9. जल और विद्युत

दिल्ली/नई दिल्ली में संसद सदस्यों को आवंटित आवास तथा दिल्ली में निजी आवास में रहने वाले संसद सदस्य के मामले में प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 4,000 किलोलीटर जल और 50,000 यूनिट विद्युत नि:शुल्क हैं। विद्युत एवं जल का अप्रयुक्त अंश उत्तरवर्ती वर्षों में अग्रनीत होगा। इसी प्रकार किसी वर्ष उपलब्ध कोटे से अधिक उपभोग किए गए जल तथा विद्युत को अगले वर्ष के लिए उपलब्ध कोटे से समायोजित किया जाएगा।

10. आवास

(i) किसी संसद सदस्य के पूरे कार्यकाल में फ्लैट के रूप में आवास किराया–मुक्त होगा। तथापि, बंगले पर लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया जाता है।

(ii) नए सदस्य के निर्वाचन के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी होने से पूर्व दिल्ली आने वाले सदस्य अस्थायी (ट्रांजिट) आवास के हकदार हैं।

(iii) मांग किए जाने पर रसोईघर तथा स्नानकक्ष में टाइलें लगाई जाएंगी तथा प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और परदों की धुलाई की सुविधा।

(iv) टिकाऊ फर्नीचर के मामले में 80,000/– रुपये और गैर–टिकाऊ फर्नीचर के मामले में 20,000/– रुपये की वर्तमान मौद्रिक सीमा के भीतर संसद सदस्यों को नि:शुल्क फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। किराये पर अतिरिक्त फर्नीचर उसकी अपकर्षित कीमत के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

11. चिकित्सा

संसद सदस्य उसी स्तर की चिकित्सा सुविधाओं के हकदार हैं जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अधीन केंद्रीय सिविल सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को उपलब्ध हैं।

12. नेत्रहीन तथा शारीरिक रूप से अक्षम सदस्यों को विशेष सुविधा

कोई नेत्रहीन या शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य, पीठासीन अधिकारी की अनुमति से, उसी श्रेणी में अपने परिचारक (अटेंडेंट) को यात्रा करवा सकता है, जिसमें वह विमान से यात्रा कर रहा है और रेल यात्रा के मामले में वातानुकूलित टू–टीयर के बजाय प्रथम श्रेणी वातानुकूलित अथवा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करवा सकता है। शारीरिक रूप से

अक्षम ऐसा सदस्य जो विमान या रेल से यात्रा नहीं कर सकता है, अपने परिचारक के साथ सड़क द्वारा पूरी की गई अपनी संपूर्ण यात्रा के लिए सड़क मील भत्ता प्राप्त करने का हकदार है।

13. कम्प्यूटर उपस्कर और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं

सदस्य कम्प्यूटर उपस्कर की मदों (डेस्कटॉप कम्प्यूटर, लैपटाप कम्प्यूटर, पैन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, हैंडहेल्ड कम्यूनिकेटर/कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, डाटा इन्टरनेट काड्र्स, एम॰एस॰ ऑफिस सुइट, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्नीशन सॉफ्टवेयर, ई–रीडर डिवाइस, कम्प्यूटर मॉनीटर और एक्सटरनल हार्ड ड्राइव) की खरीद करने के हकदार हैं। इस योजना के अधीन कम्प्यूटर उपस्करों और सॉफ्टवेयर की खरीद करने हेतु सदस्य को प्राप्त वित्तीय हकदारी 2,00,000/– रुपये है, यदि सदस्य तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए राज्य सभा के लिए निर्वाचित/नाम–निर्देशित होता है/होती है और यदि सदस्य तीन वर्ष अथवा उससे कम की अवधि के लिए आकस्मिक रिक्ति पर राज्य सभा के लिए निर्वाचित/नाम–निर्देशित होता है/होती है तो यह वित्तीय हकदारी 1,50,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि सदस्य के लिए उसके कार्यकाल की तीन वर्ष की अवधि के बाद इस शर्त के अधीन उपलब्ध रहेगी कि शेष कार्यकाल की न्यूनतम अवधि छह महीने से कम न हो। संसदीय दस्तावेजों की कागजी प्रतियों पर सदस्यों की निर्भरता कम करने के लिए, जिससे कागजों के प्रयोग में कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, सदस्य की वित्तीय हकदारी में से 50,000 रुपए की राशि को एक अनुमोदित ई–रीडर कम्पैटिबल उपकरण खरीदने के लिए तय किया गया है। सदस्य ई–रीडर टैबलेट डिवाइस का कोई ब्रांडेड मॉडल खरीद सकते हैं जो आईओएस या एंड्रायड या विंडोज आपरेटिंग सिस्टम पर चलता हो और उसके स्क्रीन का आकार 7 इंच से कम न हो। सदस्यों द्वारा अपनी आरंभिक वित्तीय हकदारी का प्रयोग करते हुए अपने कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान ऐसे किसी एक उपकरण की खरीद अनिवार्य है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा सदस्यों को ई–मेल सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाती है। सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए, राज्य सभा की आंतरिक और बाहरी लॉबी सहित संसद भवन परिसर में सुरक्षित वाई–फाई सुविधाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा स्थापित की गई हैं। सदस्य संसद भवन परिसर में वाई–फाई एक्सेस के लिए अधिकतम तीन पोर्टेबल डिवाइस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110 002
द्वारा मुद्रित।

MGIPMRND—278RS—23-05-2018.

राज्य सभा के सदस्यों की वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की हकदारी

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अप्रैल, 2018